अनुदान संख्या 84 - पेयजल और स्वच्छता विभाग
GRANT No. 84 - DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**			
स्वीकृत -	Voted -	11005,24,00	9997,70,32	-1007,53,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1006,56,83

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2215"	Major Head "2215"				
जल पूर्ति तथा सफाई	Water Supply and Sanitation				
मू.	O. 990000.00		999384.23	999288.61	- 95.62
पु.	R. 9384.23				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O. 110000.00		..	..	..
पु.	R. - 110000.00				

(I) ₹110000.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(क) "जल पूर्ति - ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम - राष्ट्रीय ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम" - ₹93500.00 लाख; और

(ख) "मलजल और सफाई - सफाई सेवाएं - सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान" - ₹16500.00 लाख।

(I) Provision of ₹110000.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Water Supply - Rural Water Supply Programme - National Rural Drinking Water Programme" - ₹93500.00 lakhs; and

(B) "Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Total Sanitation Campaign" - ₹16500.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2215" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2215" - savings occurred under the following heads:-

(का) "जल पूर्ति" -

(A) "Water Supply" -

(क) "ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन" - ₹1192.36 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयनकारी अभिकरणों से पर्याप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(a) "Rural Water Supply Programme - Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission" - saving of ₹1192.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from the implementing agencies and economy measures.

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" - ₹18702.01 लाख की बचत (₹205700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयनकारी अभिकरणों से पर्याप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - National Rural Drinking Water Programme"- saving of ₹18702.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹205700.00 lakhs) was due to cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage owing to non-receipt of viable proposals from the implementing agencies.

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" - ₹8502.00 लाख की बचत (₹93500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(c) "Tribal Area Sub-Plan - National Rural Drinking Water Programme"- saving of ₹8502.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹93500.00 lakhs); and

(खा) "मलजल और सफाई" -

(B) "Sewerage and Sanitation" -

(क) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - संपूर्ण स्वच्छता अभियान" - ₹1500.00 लाख की बचत (₹16500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) "Tribal Area Sub-Plan - Total Sanitation Campaign" - saving of ₹1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16500.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्यों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र और लेखापरीक्षित लेखा विवरण को समय पर प्रस्तुत न किए जाने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage owing to non-submission of utilisation certificate and audited statement of accounts in time by the States.

(ख) ''अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - संपूर्ण स्वच्छता अभियान'' - ₹3300.15 लाख की बचत (₹36300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयनकारी अभिकरणों से पर्याप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''2215'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) ''जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम'' - ₹36211.73 लाख का अधिक व्यय (₹540800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(II) ''मलजल और सफाई - सफाई सेवाएं - संपूर्ण स्वच्छता अभियान'' - ₹6273.40 लाख का अधिक व्यय (₹95700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Total Sanitation Campaign" - saving of ₹3300.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36300.00 lakhs) was due to cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage owing to non-receipt of viable proposals from the implementing agencies.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2215" - under the following heads:-

(I) "Water Supply - Rural Water Supply Programme - National Rural Drinking Water Programme"- excess of ₹36211.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹540800.00 lakhs); and

(II) "Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Total Sanitation Campaign" - excess of ₹6273.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹95700.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.